रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 1974/ज्यैष्ठ 23, 1896
No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 1974/JYAISTHA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th June 1974

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for April 1974—March 1975—exports of woollen goods.*

No. 83-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the import policy for Registered Exporters for the year April 1974—March 1975 as contained in the Import Trade Policy (Red Book—Vol. II) published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74, dated 2nd April, 1974.

2. In the said Red Book, the following remarks appear in Col 5 in Product Groups "K" and "L":—

(i) *Product Group 'K'—Carpets Rugs and Druggets.*

"(2) Against export of products in this product group, a recognised spinner of wool shall be nominated for raw wool etc. from the S.T.C. and raw wool of quality below 56s may also be imported."

(ii) *Product Group 'L'—Woollen Textiles, Hosiery and Mixed Fabrics.*

"(2) Against the export of products covered by this Product Group, the exporter shall nominate either a recognised spinner of wool or a recognised wool comber for obtaining raw wool etc. and raw wool of quality below 56s may also be imported. Where a wool comber is nominated under this provision, it shall be subject to the condition that the nominee shall dispose of wool tops only to a spinner of wool recognised by the Textile Commissioner."

3. On a review of the position, the following decisions have been taken in respect of the above two provisions:—

(a) The provision regarding a compulsary nomination in favour of a recognised wool comber, referred to at (ii) in Para 2 above has been withdrawn.

(b) In the case of exporters of shoddy woollen blankets/blanketing cloth, who are eligible for woollen rags under the policy in force, the provision for compulsary nomination in favour of a recognised spinner of wool, holding a permit issued by the Textile Commissioner, shall continue.

(c) If a manufacturer-exporter who is eligible to obtain raw wool/waste wool in terms of the policy in force, desires to have the import replenishment in his own name, he may be permitted to claim such replenishment in his own name. In case, such an exporter wants to have a nominee, it shall be compulsary for him to nominate a recognised spinner of wool holding a permit issued by the Textile Commissioner.

(d) Where a manufacturer—exporter obtains REP entitlement of raw wool/waste wool in his own name as provided in sub-para (c) above, the import replenishment granted in such a case shall be subject to the condition, *inter-alia* that the exporter shall have the imported wool converted into yarn only from a recognised spinner of wool, holding a permit issued by the Textile Commissioner and that he shall intimate the name, address and the Permit Number of such spinner to the licensing authority and the Textile Commissioner within a period of 30 days from the date the imported wool is given to such spinner. The yarn so obtained shall be utilised by the exporter for production in his own factory.

(e) In the case of merchant exporters of Carpets, Rugs and Druggets who are eligible to obtain wool as replenishment in their own name in terms of para 16, Part 'B', Section I of the Red Book (Vol. II) for April 1974—March 1975, the exporter shall be required to nominate a recognised spinner of wool holding a permit issued by the Textile Commissioner.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 जून, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति-ऊनी माल के निर्यात ।

सं 83-आई० टी० सी० (पी० एम०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 44–आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 2–4–74 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है

2. उपर्युक्त रैड बुक में उत्पाद वर्ग " और "के" एल" में कालम 5 आई हुई निम्नलिखित टिप्पणी —

(1) उत्पाद वर्ग "के"—कार्पेट रग्स और ड्रगेट्स.

"(2) इस उत्पाद वर्ग में उत्पादों के मद्दे ऊन के मान्यता प्राप्त तत्वुवाय को राज्य व्यापार निगम से कच्चे ऊन आदि के लिए मनोनित किया जाएगा और 56 एस से निम्न किस्म के कच्चे ऊन का भी आयात किया जा सकता है ।"

(2) उत्पाद वर्ग "एल" ऊनी वस्त्र, होजरी और मिश्रित वस्त्र.

"(2) इस उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात के मद्दे कच्चा ऊन आदि प्राप्त करने के लिए निर्यातक या तो ऊन के मान्यता प्राप्त तन्तुवाय को या मान्यता प्राप्त ऊन धुना को मनोनित करेगा और 56 एस से निम्न किस्म के कच्चे ऊन भी आयात किए जा सकते हैं । जहां पर इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऊन धुना को मनोनित किया जाता है तो यह इस के अधीन होगा कि मनोनित व्यक्ति वस्त्र आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त ऊन के तन्तुवाय को केवल ऊन टाप्स का ही निपटान करेगा ।"

3. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर उपर्युक्त दोनों व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित निर्णय किए गए हैं :—

(ए) उपर्युक्त कंडिका 2 में (2) पर उल्लखित मान्यता प्राप्त धुना के नाम में आवश्यक मनोनयन से सम्बन्धित व्यवस्था हटाली गई है ।

(बी) रद्दी ऊन कम्बलों/कम्बल के लिए कपड़े के उन निर्यातकों के मामले में जो लागू नीति के अन्तर्गत ऊनी चिथड़ों के लिए पात्र हैं तो वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए परमिट धारण करने वाले ऊन के मान्यता प्राप्त तन्तुवाय के नाम में आवश्यक मनोनयन के लिए व्यवस्था जारी रहेगी ।

(सी) यदि एक निर्माता निर्यातक जो लागू नीति के अनुसार कच्चा ऊन/रद्दी ऊन प्राप्त करने के लिए पात्र है, अपने खुद के नाम में आयात प्रति पूर्ति रखना चाहता है तो उसे उसके खुद के नाम में ऐसी प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है । यदि, ऐसा एक निर्यातक चाहता कि वह एक मनोनित व्यक्ति रखे तो उस लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किया गया परमिट धारण करने वाला मान्यता प्राप्त तन्तुवाय को मनोनित करे ।

(डी) उस मामले में जहां विनिर्माता—निर्यातक उपर्युक्त उप-कंडिका (सी) में यथा व्यवस्थित अपने स्वयं के नाम में कच्चा ऊन/रद्दी ऊन की आर ई पी हकदारी प्राप्त करता है तो ऐसे मामले में स्वीकृत की गई आयात प्रतिपूर्ति अन्य बातों के साथ साथ इस शर्त के अधीन होगी कि निर्यातक केवल उस मान्यता प्राप्त तन्तुवाय से आयातित ऊन को यार्न में परिवर्तित कराएगा जिसके पास वस्त्रायुक्त द्वारा जारी किया गया परिमट हो और यह कि वह ऐसे तन्तुवाय का पता और उसके रमिट नम्बर के बारे में लाइसेंस प्राधिकारी और वस्त्रायुक्त को ऐसे तन्तुवाय के आयातित ऊन के दिये जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सूचना देगा । इस प्रकार के प्राप्त यार्न का उपयोग निर्यातक के स्वयं के कारखाने में उत्पादन करने कार्य के लिए किया जाएगा ।

(ई) कार्पेट, रग्स और ब्रुगेट्स के व्यापारी निर्यातकों के मामले में जो अप्रैल, 74—मार्च, 1975 के लिए रेड बुक (वा० 2) के खण्ड 1 के भाग 'बी' की कंडिका 16 के अनुसार अपने नाम में प्रतिपूर्ति के रूप में ऊन प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो निर्यातक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऊन के उस मान्यता प्राप्त तन्तुवाय को नामित करे जिसके पास वस्त्रायुक्त द्वारा जारी किया गया परमिट हो ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974